संख्या- 41 /2026/I/ 1365380/2026/11-4099/53/2025

प्रेषक,

**अरविन्द सिंह,**
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

**आयुक्त,**
राज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

**राज्य कर अनुभाग-4** **लखनऊ: दिनांक 16 जून, 2026**

**विषय:**-राज्य कर विभाग में आगामी 02 वर्षों के लिये 2220 सी0यू0जी0 की सेवाएँ (Post Paid Data and Voice Service) प्राप्त किये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-स्था0अराज0/सी0यू0जी0/2026-27/150/राज्य कर, दिनांक 13.04.2026, पत्र संख्या-स्था0अराज0/सी0यू0जी0/2026-27/750/राज्य कर, दिनांक 29.05.2026 व पत्र संख्या-स्था0अराज0/सी0यू0जी0/2026-27/874/राज्य कर, दिनांक 09.06.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य कर विभाग में आगामी 02 वर्ष (वित्तीय वर्ष 2026-27, 2027-28) के लिए 2220 सी0यू0जी0 की सेवाएँ (Post Paid Data and Voice Service) प्राप्त किये जाने हेतु सर्विस प्रदाता के चयन हेतु जेम पोर्टल पर निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त Reverse Auction प्रक्रिया के फलस्वरूप एल-1 घोषित फर्म M/s Vodafone Idea Limited द्वारा अंकित दर रू0 44,61,673.36 (रु0 चौवालीस लाख इकसठ हजार छह सौ तिहत्तर रुपये छत्तीस पैसे मात्र) (समस्त कर सहित) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

**2-** इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य कर विभाग में 02 वित्तीय वर्षों (अर्थात दिनांक 01.04.2026 से 31.03.2028 तक) के लिए 2220 सी0यू0जी0 की सेवाएँ (Post Paid Data and Voice Service) प्राप्त किये जाने हेतु सर्विस प्रदाता के चयन हेतु जेम पोर्टल पर निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त रिवर्स आक्शन प्रक्रिया के फलस्वरूप एल-1 घोषित फर्म मै0 वोडाफ़ोन आइडिया लि0 द्वारा अंकित दर **रू0 44,61,673.36 (रु0 चौवालीस लाख इकसठ हजार छह सौ तिहत्तर रुपये छत्तीस पैसे मात्र) (रु0 82.48 प्रति कनेक्शन प्रति माह) (समस्त कर सहित)** की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

**नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों-**

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों तथा प्रकरण से सम्बंधित समस्त शासनादेशों एवं सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3. धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

4. टेन्डर की शर्तो के अनुरूप सी0यू0जी0 सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

5. सेवा की आवश्यकतानुसार प्रश्नगत कार्य हेतु भविष्य में सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश संख्या-57/18-2-2024-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 26.11.2024 (यथासंशोधित) के आलोक में अनुबन्ध समाप्त होने के कम से कम तीन माह पूर्व ही सेवा क्रय की जेम पोर्टल पर प्रक्रिया प्रारम्भ कर कर देंगे, ताकि कार्य में व्यवधान उत्पन्न न हो।

**3-** उक्त कार्य पर होने वाला व्यय, आय-व्ययक की अनुदान संख्या-89 के अन्तर्गत राजस्व लेखाशीर्षक 2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-04-वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान के मानक मद 13-टेलीफोन पर व्यय के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,
**अरविन्द सिंह**
उप सचिव।

**संख्या व दिनांक-यथोक्त।**

**प्रतिलिपि**, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. एडीशनल कमिश्नर(लेखा), राज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
**अरविन्द सिंह**
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in